


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सतेश्वर प्रसाद नौटियाल स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी	मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	स्वयं के अनुरोध

श्री सतेश्वर प्रसाद नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नौटियाल का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1617 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सतेश्वर प्रसाद नौटियाल स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सर्वेश्वर प्रसाद नौटियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ओम प्रकाश मैठाणी स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग	स्वयं के अनुरोध

श्री ओम प्रकाश मैठाणी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मैठाणी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।




(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1618 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री ओम प्रकाश मैठाणी स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ओम प्रकाश मैठाणी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।